संख्या- 4/2024/1400 -23-12-2023- 23-12099/630/2020

प्रेषक,

रिपुंजय गुप्ता,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ : दिनांक 29 जनवरी, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना अन्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी में सुमेरनगर से रामनगर संकल्पा तक लम्बाई 51.51 किमी0 (57.0989 हे0) का आपसी समझौते के आधार पर भूमि अधिग्रहण कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, इण्डो-नेपाल बार्डर, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0 के पत्र सं0-1138आईएनबी/05आईएनबी/2013, दिनांक 03.02.2021 एवं पत्र सं0-472 आईएनबी/05आईएनबी/2013, दिनांक 29.09.2023 द्वारा का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयगत प्रकरण में शासनादेश सं0-1812/23-12-2013-1733/2013(आर), दिनांक 06.12.2013 द्वारा मूल स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना अन्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी में सुमेरनगर से रामनगर संकल्पा तक लम्बाई 51.51 किमी0 (57.0989 हे0) का आपसी समझौते के आधार पर भूमि अधिग्रहण कार्य हेतु मूल स्वीकृति लागत के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 4751.38 लाख (रू0 सैंतालीस करोड़ इक्वायन लाख अड़तीस हजार मात्र) की धनराशि की पुनरीक्षित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	भूमि अधिग्रहण की स्वीकृत लम्बाई (किमी0)/ कुल भूमि	मूल स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित लागत
1	नि0ख0-4 (इ0ने0बा0), लो0नि0वि0, लखीमपुर खीरी	जनपद लखीमपुर खीरी में सुमेरनगर से रामनगर संकल्पा तक मार्ग निर्माण हेतु भूमि का क्रय	51.51 (57.0989 हे 0)	**2187.97**	**4751.38**

(1) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग की होगी तथा उनके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(2) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानो, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(5) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत/पुनरीक्षित किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः भूमि का क्रय प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(7) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-16/ 2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018, दिनांक 01 सितम्बर, 2018 के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्त(आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत कार्य/भूमि अधिग्रहण के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 3 के शासनादेश संख्या- 2/2017/ बी- 3-1034/ दस-2017-100(4)/2002 ब0मै0, दिनांक 21.11.2017 के प्राविधानानुसार बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 के तहत सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0-ई-8-1076-10-2023-24, दिनांक 23-01-2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रिपुंजय गुप्ता)
अनु सचिव।

<u>सं0-4/2024/001-1400(1)-23-12-2023 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 लोक निर्माण मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
4. नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें ।
5. प्रमुख अभियन्ता(ग्रामीण सड़क) लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता(मु0-1)/मुख्य अभियन्ता, इण्डो-नेपाल बार्डर, लो0नि0वि0, लखनऊ।
7. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
8. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9. लोक निर्माण अनु0-10

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10. वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
12. डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, नवीन भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रिपुंजय गुप्ता)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।